आदेश की क्र. सं. और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ३
11.4.19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 25.7.19 को रखें। उप समाहर्ता	
25.7.19	अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 25.1.18 से उक्त वाद में उभय पक्ष की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। उक्त कार्यालय के पत्रांक 17/(?) दिनांक 5.6.17 द्वारा अंचल अधिकारी सासाराम को वादी एवं प्रतिवादी के तालिका मापी हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त अंचल अधिकारी सासाराम के पत्रांक 195 दिनांक 1.7.17 द्वारा तालिका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें उभय पक्ष [illegible] द्वारा पैरवी के हेतु पहल नहीं किया गया है अतः प्रतीत होता है वादी एवं प्रतिवादी को कोई रुचि नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख एवं संशोधित [illegible] उप समाहर्ता 25/7/19 उप समाहर्ता	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.12.03 13:16:49 +05:30
Location: 10.93.66.35